महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

दूरभाष: 0151-2970177 **ई-मेल:** registrar@mgsubikaner.ac.in

प.07( )मगंसिविबी/विद्या परिषद-18/2019/ 12164 – 214 दिनांक : 25-7-19

विद्या परिषद् की 18वीं बैंठक
का कार्यवृत (Minutes)

दिनांक : 13-07-2019 समय : प्रातः 11:00 बजे

विद्या परिषद की 18वीं बैठक दिनांक 13–07–2019 को प्रातः 11:00 बजे महर्षि शौनक भवन (कुलपति सचिवालय) के विद्या परिषद् सभागार में आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1	**प्रो. भगीरथ सिंह, कुलपति,**	अध्यक्ष
2	प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल, संकायाध्यक्ष कला	सदस्य
3	प्रो. राजाराम चोयल, संकायाध्यक्ष विज्ञान	सदस्य
4	प्रो. नारायण सिंह राव, संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान	सदस्य
5	डॉ. वी.एन. सिंह, संकायाध्यक्ष विधि	सदस्य
6	डॉ. मीनू पूनियां, संकायाध्यक्ष वाणिज्य	सदस्य
7	डॉ. सुरेन्द्र कुमार सहारण, संकायाध्यक्ष शिक्षा	सदस्य
8	डॉ. राकेश हर्ष, सहायक निदेशक–कॉलेज शिक्षा शासन सचिव, उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि	सदस्य
9	डॉ. श्रवण सैनी, राज्य सरकार द्वारा नामित प्राचार्य, सरकारी महाविद्यालय	सदस्य
10	डॉ. बी. एल. विश्नोई, राज्य सरकार द्वारा नामित प्राचार्य, निजी महाविद्यालय	सदस्य
11	डॉ. निधि अग्रवाल, राज्य सरकार नामित सदस्य	सदस्य
12	प्रो. अनिल कुमार छंगाणी कुलपति महोदय द्वारा नामित आचार्य	सदस्य
13	डॉ. सतीश कौशिक –संयोजक, भूगर्भ विज्ञान	सदस्य
14	डॉ. उमाकान्त गुप्त – संयोजक हिन्दी	सदस्य
15	श्री चतर सिंह डोटासरा – संयोजक,एबीएसटी	सदस्य
16	डॉ एस.एन. शर्मा – संयोजक, ई.ए.एफ.एम.	सदस्य
17	डॉ. भगवाना राम विश्नोई – संयोजक विधि	सदस्य
18	डॉ. संध्या जैन – संयोजक, वनस्पतिशास्त्र	सदस्य
19	डॉ. आर.एस. वर्मा संयोजक, रसायनशास्त्र	सदस्य
20	डॉ. रंजन सक्सेना– संयोजक, गणित	सदस्य
21	डॉ. गौतम कुमार मेघवंशी– संयोजक, सूक्ष्म जीव विज्ञान	सदस्य
22	डॉ. रविन्द्र मंगल – संयोजक, भौतिक विज्ञान	सदस्य
23	डॉ. मीरा श्रीवास्तव – संयोजक प्राणीशास्त्र	सदस्य

24	डॉ. उषा कंवर – संयोजक अंग्रेजी	सदस्य
25	डॉ. नन्दिता सिंघवी – संयोजक संस्कृत	सदस्य
26	डॉ. सुमित्रा चारण – संयोजक, दर्शनशास्त्र	सदस्य
27	डॉ. इन्द्रसिंह राजपुरोहित – संयोजक, चित्रकला	सदस्य
28	डॉ. अभिलाषा आल्हा – संयोजक गृह विज्ञान	सदस्य
29	डॉ. पंकज जैन –संयोजक व्यवसायिक प्रशासन	सदस्य
30	डॉ. कविता चौधरी– संयोजक शिक्षा	सदस्य
31	डॉ. यशवंत गहलोत– संयोजक शारीरिक शिक्षा	सदस्य
32	डॉ. अभिषेक वशिष्ठ,कुलपति महोदय द्वारा नामित शिक्षक	सदस्य
33	श्री राजेन्द्र सिंह डूडी, कुलसचिव	सदस्य सचिव

प्रो. हेरब चतुर्वेदी, डॉ. एच.आर. नियाजी, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, डॉ. आर.सी. श्रीवास्तव, डॉ. पुष्पा चौहान, श्रीमती ज्योति लखाणी, डॉ. नरेश कुमार, डॉ. बी.एस. रतन, डॉ. श्याम सुन्दर ज्याणी एवं डॉ. बजरंग सिंह राठौड़, सरकारी/निजी कारणों से बैठक में भाग नहीं ले सके।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने विद्या परिषद् बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत किया। माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा नामित सदस्य प्रो. हेरंब चतुर्वेदी, राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य डॉ. श्रवण सैनी, डॉ. बी.एल. विश्नोई, डॉ. एच.आर. नियाजी, डॉ. निधि अग्रवाल, संकायाध्यक्ष प्रो. राजाराम चोयल, प्रो. नारायण सिंह राव, डॉ. वी.एन. सिंह, डॉ. मीनू पूनिया, कुलपति द्वारा नामित आचार्य सदस्य प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल, प्रो. अनिल कुमार छंगाणी, शिक्षक सदस्य डॉ. अभिषेक वशिष्ठ, पाठ्यक्रम मण्डल के संयोजक डॉ. पुष्पा चौहान, डॉ. भगवाना राम विश्नोई, डॉ. आर.एस. वर्मा, डॉ. उषा कंवर, डॉ. बी.एस. रतन, डॉ. पंकज जैन, डॉ. कविता चौधरी एवं डॉ. यशवंत गहलोत का नव–मनोनयन पर स्वागत किया गया। शासन सचिव, उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि के रूप में उपसिति डॉ. राकेश हर्ष का भी स्वागत किया गया।

विद्या परिषद् के निवर्तमान सदस्य प्रो. जी.एस. रघुवंशी, डॉ. सुरेन्द्र डी. सोनी, डॉ. रामसिंह राजावत, डॉ. संतोष राजपुरोहित, डॉ. बेला भनोत, डॉ. विभा शर्मा, डॉ. एन.के. व्यास, डॉ. आर.पी. माथुर एवं डॉ. हेमन्त शर्मा द्वारा विद्या परिषद् बैठक एवं विश्वविद्यालय में दिये गए सहयोग की सराहना की गई।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत कराया कि बैठक में अधिनियम, ऑर्डिनेस एवं नियमानुसार ही निर्णय लिये जाए।

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य सचिव द्वारा सदन के समक्ष बिन्दुवार मद प्रस्तुत किये गए जिन पर सदस्यों द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गए :–

मद संख्या	विवरण	अनुभाग/विभाग
1	दिनांक 21-05-2018 को सम्पन्न हुई 17 वीं बैठक का कार्यवृत की पुष्टि का प्रस्ताव। परिशिष्ट-1 (पृष्ठ संख्या 1-10)	
निर्णय	**अनुमोदन किया गया।**	शैक्षणिक

2	दिनांक 21-05-2018 को आयोजित 17वीं बैठक में लिये गए निर्णयों की बिन्दुवार की गई पालना रिपोर्ट के अनुमोदन का प्रस्ताव। परिशिष्ट-2 (पृष्ठ संख्या 11-50)	
निर्णय	पालना रिपोर्ट का अनुमोदन करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिये गए :- पालना बिन्दु संख्या 12 में विश्वविद्यालय विभागों में प्रवेश लेने पर निःशुल्क शिक्षा देने के प्रावधान में गांडिया लुहार एवं घुमन्तु जाति (राज्य सरकार की अधिसूची में सम्मिलित इस श्रेणी की जातियों) के छात्रों को जोडा गया। पालना बिन्दु संख्या 17 में स्नातक स्तर विज्ञान संकाय में 70 एवं कला व वाणिज्य संकाय में 80 सीटे निर्धारित करने का संशोधन किया गया। पालना बिन्दु संख्या 22 में आर्डिनेंस में उल्लेखित प्रावधानों के अतिरिक्त जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा सम्मिलित है, ऐसे विषयों में सत्र 2020-21 से स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा की अनुमति प्रदान नही करने का निर्णय लिया गया। पालना बिन्दु संख्या 23 में समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय हिन्दी व अंग्रेजी विषय की परीक्षा पूर्वानुसार ही आयोजित कराने का निर्णय लिया गया।	शैक्षणिक
3	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 की धारा 12(6) के प्रावधानुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा समस्त संकायाध्यक्षों क्रमशः सामाजिक विज्ञान, शिक्षा, वाणिज्य, विधि, कला एवं विज्ञान की नियुक्ति की गई। समस्त आदेश पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट-3 (पृष्ठ संख्या 51-56)	
निर्णय	अनुमोदन किया गया।	
4	विभिन्न विषयों के अध्ययन मण्डलों एवं पाठ्यक्रम समिति द्वारा प्रस्तुत किये गए पाठ्यक्रम अनुमोदन का प्रस्ताव परिशिष्ट-4 (पृष्ठ संख्या 57-118)	
निर्णय	(1) एम. ए. उत्तरार्द्ध हिन्दी प्रश्न पत्र द्वितीय आधुनिक काव्य ईकाई न. 5 में वाजश्रवा के बहाने लेखक कुंवर नारायण के स्थान पर अन्धा युग लेखक धर्मवीर भारती को जोड़ने का निर्णय लिया गया। (2) विभिन्न पाठ्यक्रम मण्डलों द्वारा स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध में प्रस्तावित नवीन विकल्प प्रश्न पत्र के प्रस्तावों को अस्वीकार किया गया। (3) ए.बी.एस.टी पाठ्यक्रम मण्डल द्वारा कम्प्यूटर एप्लीकेशन में प्रस्तावित प्रायोगिक परीक्षा स्कीम को अस्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त समस्त पाठ्यक्रम मण्डलों द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रमों का अनुमोदन किया गया।	शैक्षणिक

5	विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय नियमों के अनुमोदन एवं राज्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली प्रवेश-नीति 2019-20 को अंगीकृत करने हेतु प्रस्ताव ।	
निर्णय	**विश्वविद्यालय विभागों एवं जिन कक्षाओं में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय के स्वयं के नियम बने हुए है, उनमें प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय नियम एवं अन्य कक्षाओं में प्रवेश के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी प्रवेश नीति 2019-20 अंगीकृत करने निर्णय लिया गया।**	शैक्षणिक
6	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2018-19 में 19 नवीन महाविद्यालयों(सूची संलग्न) को अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की गई जो पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट-5 (पृष्ठ संख्या 119)	
निर्णय	पुष्टि की गई।	शैक्षणिक
7	समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 30-04-2019 एवं 27-06-2019 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव। परिशिष्ट-6 (पृष्ठ संख्या 120-122)	
निर्णय	**अनुमोदन किया गया।**	शैक्षणिक
8	परीक्षा 2018 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर के अंतिम वर्षो की कक्षा में उत्तीर्ण लगभग 97806 अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान की जानी है। साथ ही 01 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 की अवधि में शोध कार्य सम्पन्न कर चुके 72 अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान की जानी है। उपाधि के ग्रेस पास करने एवं परीक्षा 2018 में कुलपति पदक-01 एवं स्वर्ण पदक-47 प्रदान करने हेतु अनुमोदन का प्रस्ताव। परिशिष्ट-7 (पृष्ठ संख्या 123)	
निर्णय	**स्वर्ण पदक संख्या में संशोधन को स्वीकार करते हुए 01 कुलाधिपति पदक एवं 50 स्वर्ण पदक प्रदान करने का अनुमोदन करते हुए उपाधि प्रदान करने हेतु ग्रेस पास किया गया।**	शैक्षणिक परीक्षा
9	विश्वविद्यालय विभागों यथा पर्यावरण विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी एवं विधि में राज्य सरकार से स्वीकृत रिक्त पदों पर चयन किया जाना है। साथ ही पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा का सी.ए.एस. किया जाना है। चयन समिति/स्क्रीनिंग समिति में विषय विशेषज्ञों को सम्मिलित करने हेतु विषय विशेषज्ञों का पैनल	

	अनुमोदन का प्रस्ताव। पैनल बैठक के दौरान प्रस्तुत किये जाएंगे।	
निर्णय	**अनुमोदन किया गया।**	शैक्षणिक संस्थापन
10	विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2018 को अंगीकृत करने का प्रस्ताव।	
निर्णय	**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2018 को अंगीकृत किया गया।**	शैक्षणिक संस्थापन
11	शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 22-11-2018 एवं 29-03-2019 के द्वारा दो निम्नलिखित पाठ्यक्रम अधिसूचित किये गए है :- 1. Four years Integrated Teacher Education Programme (Pre-Primary to Primary) 2. Four years Integrated Teacher Education Programme (Upper Primary to Secondary) उपरोक्त पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय में अंगीकृत करने एवं सम्बद्धता शुल्क के निर्धारण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है। **परिशिष्ट-8** (पृष्ठ संख्या 124-127)	
निर्णय	**अंगीकृत कर विश्वविद्यालय में उक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का निर्णय लिया। साथ ही चार वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित सम्बद्धता शुल्क के समान ही इस पाठ्यक्रय का सम्बद्धता शुल्क निर्धारित किया गया।**	शैक्षणिक
12	विश्वविद्यालय से अस्थाई एवं स्थाई सम्बद्धता प्राप्त गैर सरकारी महाविद्यालयों में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के लिए इकजाई अक्षय निधि कोष (Endowment Fund) का निर्धारण करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।	
निर्णय	**समस्त पाठ्यक्रमों के लिए अस्थाई सम्बद्ध निजी महाविद्यालय को राशि रू. 5.00 लाख एवं स्थाई सम्बद्ध निजी महाविद्यालय को राशि रू. 10.00 लाख की अक्षय निधि बनाने का निर्णय लिया गया। उक्त अक्षय निधि की ब्याज राशि निकासी करने की महाविद्यालयों को अनुमति प्रदान की गई।**	शैक्षणिक
13	परीक्षा आयोजन हेतु केन्द्राधीक्षकों को जारी किये जाने वाले अनुदेश प्रपत्र 24 (ई) के प्रावधानों में आंशिक परिवर्तन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है। **परिशिष्ट-9** (पृष्ठ संख्या 128)	

निर्णय	**प्रपत्र 24 (E) के बिन्दु संख्या 1 (ब) में परीक्षा केन्द्र पर एक सत्र में परीक्षार्थियों की कुल संख्या 1500 से अधिक होने पर एक तथा 2100 से अधिक होने पर 2 अतिरिक्त सहायक केन्द्राधीक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी।**	शैक्षणिक परीक्षा
14	विद्या परिषद् की 17वीं बैठक दिनांक 21-05-2018 के विनिर्णय संख्या 25 के अनुसार परीक्षा 2018 की उपाधियों में विद्यार्थियों के फोटो एवं उपाधियों को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड कर ऑनलाईन सत्यापन की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था। परीक्षा 2018 में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर सफल विद्यार्थियों के विवरण की जांच करने पर पाया गया कि अनेकों विद्यार्थियों के फोटो अस्पष्ट व धुंधली होने के कारण पहचान योग्य नहीं है। अतः दीक्षान्त समारोह के निकटता एवं व्यवहारिक कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में लिये गए निर्णय पर पुनः विचार करते हुए परीक्षा 2018 की उपाधि परीक्षा 2017 के अनुरूप (बिना फोटो) मुद्रित करवाये जाने का प्रस्ताव। परिशिष्ट-10 (पृष्ठ संख्या 129)	
निर्णय	**उपाधि मुद्रण हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर गठित क्रय समिति के स्तर पर कार्यवाही करने एवं कार्यवाही पर निर्णय लेने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**	परीक्षा सामान्य प्रशासन
15	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त उत्तरपुस्तिकाओं में अगर अंकों की पोस्टिंग, अंकों की गणना अथवा योग में त्रुटि होने तथा किसी प्रश्नोत्तर के मूल्याकंन से वंचित रह जाने पर विद्यार्थी द्वारा त्रुटि सुधार हेतु आवेदन करने की कोई समय-सीमा निर्धारित नही होने के कारण छात्रों द्वारा परीक्षा सत्र समाप्ति तथा आगामी सत्र तक सुधार हेतु पत्राचार करते है। अतः उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के पश्चात् परीक्षार्थी अधिसूचना के नियम संख्या 10 के प्रावधानान्तर्गत 30 दिवस के भीतर प्रार्थना-पत्र/अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु समय सीमा अवधि निर्धारित करने का प्रस्ताव। परिशिष्ट-11 (पृष्ठ संख्या 130)	
निर्णय	**अनुमोदन किया गया।**	शैक्षणिक परीक्षा
16	विश्वविद्यालय से संलग्न सूची में अंकित अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता शर्तो की पालना नहीं की जा रही है। इस बाबत महाविद्यालयों को बार-बार पत्र प्रेषित कर पालना करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है, परन्तु महाविद्यालयों से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नही हो रहा है। महाविद्यालयों पर	

	शुल्क/शास्ति बकाया होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से महाविद्यालयों को बंद करने की प्रक्रिया प्रारम्भ नही की जा सकी है। अतः ऐसे महाविद्यालयों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्णय हेतु प्रस्ताव। परिशिष्ट-12 (पृष्ठ संख्या 131)	
निर्णय	**ऐसे महाविद्यालयों को बंद करने की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।**	शैक्षणिक
17	विश्वविद्यालय परिसर में Finishing School की स्थापना हेतु प्रस्ताव। परिशिष्ट-13 (पृष्ठ संख्या 132-133)	
निर्णय	स्वीकृत किया गया।	
18	विश्वविद्यालय में शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय परिसर में कार्यरत शिक्षकों को लघु शोध परियोजना के तहत लघु शोध प्रोजेक्ट आवंटन के सम्बन्ध में प्रस्ताव। परिशिष्ट-14 (पृष्ठ संख्या 134-155)	आई.क्यू.ए.सी..
निर्णय	**राशि रू. 2.00 लाख तक वित्तीय सहायता देने के निर्णय के साथ कार्यवाही करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**	शोध आई.क्यू.ए.सी
19	विद्या परिषद् की 17वीं बैठक 21-05-2018 के विनिर्णय संख्या 18 की पालना में सम्बद्ध महाविद्यालयों में ग्रेडिंग प्रणाली (NAAC की तर्ज पर) लागू करने के लिए मापदण्ड निर्धारण का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आई.क्यू.ए.सी. को अधिकृत किया गया था। आई क्यू.ए.सी. द्वारा तैयार किया गया प्रारूप के अनुमोदन का प्रस्ताव। परिशिष्ट-15 (पृष्ठ संख्या 156-173)	
निर्णय	अनुमोदन किया गया।	शैक्षणिक आई.क्यू.ए.सी.
20	विश्वविद्यालय परिसर में संचालित "स्कूल ऑफ लॉ" में विधि तीन वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव। परिशिष्ट-16 (पृष्ठ संख्या 174)	
निर्णय	स्वीकृत किया गया।	
21	(1) प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय विभागों में संचालित सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत चतुर्थ सेमेस्टर में अध्यनरत विद्यार्थियों के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर में बकाया रहे प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं चतुर्थ सेमेस्टर के साथ कराने का निर्णय माननींय कुलपति महोदय की स्वीकृति से किया गया है। पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट-17 (पृष्ठ संख्या 175)	
निर्णय	पुष्टि की गई।	

	(2) सत्र 2018-19 से विश्वविद्यालय परिसर में प्रारम्भ नवीन पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 21933 दिनांक 16-10-2018 (संलग्न) के द्वारा किया गया। पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट-18 (पृष्ठ संख्या 176-177)	
निर्णय :	**पुष्टि की गई।**	

टेबल एजेण्डा

मद संख्या	विवरण	अनुभाग
22	संकायाध्यक्षों की बैठक दिनांक 03-12-2018 में 2009 से पूर्व पीएच.डी. कर चुके शोधार्थियों को व्याख्याता की पात्रता हेतु (नेट/स्लेट/सैट से छूट) के सम्बन्ध जारी किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप विद्या परिषद् के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट-19	
निर्णय	**अनुमोदित किया गया।**	शोध
23	सूक्ष्म जीव विज्ञान विषय में शोध कर रहे अभ्यर्थी श्री पंकज कुमार सिंह के शोध प्रबन्ध को एक बाह्य परीक्षक द्वारा दो बार संशोधन करने हेतु सुझाव दिया गया है। शोध आर्डिनेंस 124 की धारा E (8) (III) में परीक्षक द्वारा एक बार संशोधन का सुझाव देने पर अभ्यर्थी को छः माह की अवधि के पश्चात् पुनः संशोधित शोध प्रबन्ध जमा कराने का अवसर प्रदान किया जाता है। परन्तु एक ही परीक्षक द्वारा दो बार संशोधन सुझाव देने पर पुनः अवसर प्रदान किये जाने का कोई प्रावधान उपलब्ध नही है। निर्णयार्थ प्रस्तुत है। परिशिष्ट-20	
निर्णय	**रिपोर्ट का अवलोकन कर कार्यवाही करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**	शोध
24	विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त कुछ महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता शर्तो की पालना नही की जा रही है। कुलपति महोदय के निर्देशानुसार अंतिम चेतावनी पत्र भी महाविद्यालयों को प्रेषित कर दिये गए है। निरन्तर पत्राचार के उपरान्त भी महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय निर्देशों की पालना नही की जा रही है। ऐसे महाविद्यालयों के विरूद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।	
निर्णय	**ऐसे महाविद्यालयों की सम्बद्धता समाप्ति की कार्यवाही का स्थानीय समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित करवाकर उन महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों को सूचना प्रदान करवाई जाए तथा महाविद्यालयों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**	शैक्षणिक

25	विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त निजी महाविद्यालयों की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक ऑडिट कराने के सम्बन्ध सम्बद्धता नियमों में प्रावधान करने एवं नियम बनाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव। **परिशिष्ट-21**	
निर्णय	**निम्नानुसार समिति गठित करने का निर्णय लिया गया :-** (1) प्रो. नारायण सिंह राव - संयोजक (2) डॉ. राकेश हर्ष - सदस्य (3) डॉ. बी.एल. विश्नोई - सदस्य (4) डॉ. रविन्द्र मंगल - सदस्य (5) वित्त नियंत्रक (6) उप कुलसचिव शैक्षणिक - सदस्य सचिव अनुशंसा पर निर्णय लेने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।	शैक्षणिक
26	विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा एवं शोध कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएच.डी. के पश्चात् Doctor of Science (D.Sc.) and Doctor of Literature (D. Lit.) की उपाधि कराने एवं नियम बनाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	
निर्णय	**निम्नानुसार समिति गठित करने का निर्णय लिया गया :-** (1) प्रो. अनिल कुमार छंगाणी - संयोजक (2) डॉ. सतीश कौशिक - सदस्य (3) डॉ. मीरा श्रीवास्तव - सदस्य (4) डॉ. नन्दिता सिंघवी - सदस्य (5) निदेशक शोध - सदस्य सचिव अनुशंसा पर निर्णय लेने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।	शोध
27	विश्वविद्यालय में शोधार्थियों के लिए छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में मानदण्डों का प्रारूप के अनुमोदन का प्रस्ताव। **परिशिष्ट-22**	
निर्णय	**अनुमोदन करते हुए विश्वविद्यालय विभागों के दो पीएच.डी. शोधार्थियों को शोध प्रबन्ध जमा कराने अथवा अधिकतम तीन वर्ष की अवधि जो भी पहले हो तक 2 हजार रूपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।**	शैक्षणिक
28	(1) प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय परिसर में संचालित सूक्ष्म जीव विज्ञान	

	विभाग के अन्तर्गत सत्र 2019-20 से एम.एससी. जैव तकनीकी पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की स्वीकृति विद्या परिषद् के निर्णय की प्रत्याशा में जारी की गई थी। पुष्टि हेतु प्रस्ताव। परिशिष्ट-23	
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	शैक्षणिक
	(2) प्रतिवेदित है कि परीक्षा 2018 के लिए होने वाली उपाधियों में 200 GSM Paper, PTM and Non Tearable, 100% Water Proof, Fire Resistance, Water Marks Printing, Personal Data, Photograph and Hot foil Stamping को सम्मिलित करने की स्वीकृति विद्या परिषद् के निर्णय की प्रत्याशा में जारी की गई थी। पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट-24	
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	सामान्य प्रशासन
	(3) प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय विभागों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में पदस्थापित नियमित/अनुमोदित शिक्षकों को FIP/QIP के अन्तर्गत पीएच.डी. एवं एम.फिल. में प्रवेश परीक्षा में छूट प्रदान की गई है। इस सम्बन्ध में नियम बनाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 24-09-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं उक्त प्रक्रिया को शोध आर्डिनेंस 101 के अन्तर्गत विनियम के रूप में स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन हेतु अनुशंसित करने का प्रस्ताव। परिशिष्ट-25	
निर्णय	**स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रबन्ध बोर्ड में भेंजने की अनुशंसा की गई।**	शोध
	(4) प्रतिवेदित है कि पीएच.डी. एवं एम.फिल. प्रवेश हेतु आयोजित परीक्षा में साक्षात्कार के लिए संकायाध्यक्ष समिति की बैठक दिनांक 27-06-2019 के द्वारा अंकों एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया गया। उक्त प्रक्रिया की पुष्टि एवं उक्त प्रक्रिया को शोध आर्डिनेंस 101 के अन्तर्गत विनियम के रूप में स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन हेतु अनुशंसित करने का प्रस्ताव। परिशिष्ट-26	
निर्णय	**स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रबन्ध बोर्ड में भेजने की अनुशंसा की गई।**	शोध

29	प्रायोगिक परीक्षाओं में बाह्य परीक्षकों को नियुक्त करने हेतु प्रस्ताव । परिशिष्ट-27	
निर्णय :	**सत्र के प्रारम्भ में अध्ययन मण्डल को रोटेशन वार परीक्षक बोर्ड गठित करने के निर्देश प्रदान किये गए। प्रायोगिक परीक्षा में स्नातक स्तर के लिए कम से कम 5 वर्ष तक स्नातकोत्तर स्तर के लिए कम से कम 10 वर्ष के अनुभव रखने वाले शिक्षकों को पैनल में रखा जावे। पैनल में विश्वविद्यालय, सरकारी महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को प्राथमिकता प्रदान की जाए।**	परीक्षा

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(राजेन्द्र सिंह डूडी)
सदस्य सचिव